

दूसरा अध्याय
वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों के अनुदान वार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा आबंटित संसाधनों के प्रबन्धन के तरीकों को दर्शाता है। इसके अलावा बजट प्रक्रिया और बजट अनुमानों पर लेखापरीक्षा की टिप्पिणियाँ तथा कोषालय निरीक्षणों से प्राप्त परिणाम भी इस अध्याय में सम्मिलित हैं।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2012-13 के दौरान 74 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय के सारांश की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.1 मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6	7
दत्तमत	I राजस्व	27383.85	3086.06	30469.91	25709.38	-4760.53
	II पूँजीगत	7269.45	900.00	8169.45	4913.95	-3255.50
	III ऋण तथा अग्रिम	1964.54	133.50	2098.04	1887.99	-210.05
कुल दत्तमत		36617.84	4119.56	40737.40	32511.32	-8226.08
भारित	IV राजस्व	1808.38	13.22	1821.60	1598.32	-223.28
	V पूँजीगत	4.06	4.51	8.57	5.62	-2.95
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	1246.91	0.00	1246.91	1039.29	-207.62
कुल भारित		3059.35	17.73	3077.08	2643.23	-433.85
आकस्मिकता निधि में विनियोग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महायोग		39677.19	4137.29	43814.48	35154.55	-8659.93

(स्त्रोत-विनियोग लेखे 2012-13)

राजस्व अनुभाग के अधीन 72 अनुदानों एवं 41 विनियोगों, पूँजीगत अनुभाग के अधीन 48 अनुदानों एवं पांच विनियोगों एवं ऋण अनुभाग के अधीन एक विनियोग (लोक ऋण) में कुल ₹ 8,660.89 करोड़ की बचत में से राजस्व अनुभाग के अधीन चार अनुदानों के ₹ 0.96 करोड़¹ व्यय आधिक्य के समायोजन के परिणामस्वरूप ₹8,659.93 करोड़ की कुल बचत हुई।

¹ वित्त विभाग अनुदान संख्या 6 से संबंधित व्यय (₹. 0.09 करोड़), आयकट विभाग अनुदान संख्या 40 (₹ 0.07 करोड़), लघु सिंचाई निर्माण कार्य अनुदान संख्या 45 (₹ 0.72 करोड़), महिला एवं बाल कल्याण अनुदान संख्या 55 (₹ 0.08 करोड़)

2.3 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 विनियोग की तुलना में आवंटनीय प्राथमिकताएं

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम यह दर्शाता है कि 44 प्रकरणों से संबंधित 37 अनुदानों एवं एक विनियोग के प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक एवं कुल प्रावधानों के भी 20 प्रतिशत से अधिक की सकल बचत ₹ 5,775.95 करोड़ हैं। इसमें शामिल 17 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 4,867.16 करोड़ की बचत, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की थी जो (परिशिष्ट 2.1 के एवं ख) में दर्शाया गया है।

आगे, ₹ 8,660.89 करोड़ की कुल बचत के विरुद्ध 18 अनुदानों से संबंधित 22 प्रकरणों में ₹ 3,593.72 करोड़ (41.49 प्रतिशत) की बचत (₹ 50 करोड़ एवं अधिक) हुई जैसा कि तालिका-2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2 : ₹ 50 करोड़ या अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

स. क्र	अनुदान क्र.	अनुदान/विभाग का नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	समर्पण	कुल योग (4+5-6)	वार्ताविक व्यय	बचत (समर्पण को छोड़कर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्व दत्तमत								
1	3	पुलिस	1729.11	52.09	0.00	1781.20	1672.86	108.34
2	6	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	2646.29	2.67	0.00	2648.96	2452.18	196.78
3	12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	307.27	610.32	11.11	906.48	824.40	82.08
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	627.11	45.44	0.00	672.55	582.72	89.83
5	27	स्कूल शिक्षा	2521.99	129.83	0.00	2651.82	2058.88	592.94
6	33	आदिम जाति कल्याण	1099.39	6.40	153.55	952.24	840.50	111.74
7	41	आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	3328.48	364.88	359.67	3333.70	3064.30	269.40
8	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान	410.91	13.95	22.68	402.18	263.54	138.64
9	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1084.43	126.63	98.02	1113.04	926.63	186.41
10	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	258.30	0.44	0.00	258.74	202.63	56.11
11	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2236.29	460.28	122.97	2573.60	2358.83	214.77

सं. क्र.	अनुदान क्र.	अनुदान/विभाग का नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	समर्पण	कुल योग (4+5-6)	वास्तविक व्यय	बचत (समर्पण को छोड़कर)
		पूँजीगत दत्तमत						
12	12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	400.00	704.00	0.00	1104.00	704.00	400.00
13	24	लोक निर्माण कार्य- सङ्केत और पुल	845.00	0.80	0.00	845.80	772.17	73.63
14	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00
15	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	582.67	57.50	0.00	640.17	563.67	76.50
16	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1863.56	73.53	669.28	1267.81	1202.75	65.06
17	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सङ्केत एवं पुल	459.60	0.30	0.00	459.90	225.10	234.80
18	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	327.17	41.41	6.06	362.52	277.70	84.82
19	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1053.79	30.67	193.97	890.49	769.70	120.79
20	67	लोक निर्माण कार्य- भवन	307.76	40.02	0.00	347.78	198.64	149.14
21	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	132.43	49.95	0.00	182.38	108.14	74.24
22	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	200.00	0.00	0.00	200.00	14.30	185.70
योग			22,503.55	2,811.11	1,637.31	23,677.36	20,083.64	3,593.72

(स्त्रोत-विविधोग लेखे 2012-13)

प्रावधान से अधिक व्यय के कारणों की जानकारी राज्य शासन से मांगी गई थी (अगस्त 2013) एवं उनका जवाब अपेक्षित (अक्टूबर 2013) है।

2.3.2 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2012-13 के दौरान 41 प्रकरणों में सकल (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) ₹ 1,388.72 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय की गई राशि मूल प्रावधान राशि के स्तर तक भी नहीं हुई थी जैसा कि परिशिष्ट 2.2 में दिखाया गया है।

2.3.3 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक ही अनुदान के तहत जहाँ एक विनियोग इकाई में बचत की संभावना हो से दूसरी इकाई में जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो में निधियों का अन्तरण है।

हमने देखा कि पुनर्विनियोजन के पश्चात भी ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचत/आधिक्य व्यय था, जिसमें से 10 योजनाओं में बचत/आधिक्य व्यय ₹ 20 करोड़ से भी अधिक था जैसा कि परिशिष्ट 2.3 में वर्णित है। यह इंगित करता है कि अनुमानों का उचित आकलन नहीं किया गया, पुनर्विनियोजन के माध्यम से निधियों के आहरण/संवर्धन के उपरांत भी अनुदानों में अन्तर: बचत/आधिक्य व्यय हुआ।

2.3.4 सारभूत समर्पण

कुल 240 योजनाओं के अन्तर्गत, योजना को लागू नहीं किये जाने अथवा योजनाओं/कार्यक्रमों को धीमी गति से लागू किये जाने के कारण सारभूत समर्पण (कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) किया गया। इन योजनाओं में ₹ 3,523.12 करोड़ के कुल प्रावधान में से, ₹ 2,791.47 करोड़ (79.23 प्रतिशत) समर्पित किया गया जिनमें 100 योजनाओं में शत प्रतिशत समर्पण रहा। यह इंगित करता है कि बजट यथोचित दूरदर्शिता के साथ नहीं बनाया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.4 में दिया गया है।

2.3.5 वास्तविक व्यय से अधिक समर्पण

कुल 13 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक राशि समर्पित की गई जो इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का द्योतक हैं। ₹ 1,053.98 करोड़ की बचत के विरुद्ध ₹ 1,234.99 करोड़ के समर्पण के परिणामस्वरूप ₹ 181.01 करोड़ का अधिक समर्पण किया गया। विवरण परिशिष्ट 2.5 में दिया गया है। संबंधित विभागों द्वारा वास्तविक बचत से ज्यादा समर्पण का कारण/स्पष्टीकरण अगस्त 2013 में मांगा गया था जो अक्टूबर 2013 तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.3.6 प्रत्याशित बचत समर्पित नहीं करना

वर्ष 2012-13 के अन्त में 20 अनुदानों एवं तीन विनियोग में ₹ एक करोड़ से अधिक का बचत हुआ लेकिन इसका कोई भी अंश संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। इन

प्रकरणों में शामिल कुल राशि ₹ 2,526.50 करोड़ (कुल बचत ₹ 8,660.89 करोड़ का 29.17 प्रतिशत) थी जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार 20 अन्य अनुदानों के अधीन ₹ 3,674.84 करोड़ की कुल बचत में से (समर्पण के पश्चात, प्रत्येक अनुदान में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक की बचत) कुल राशि ₹ 1,462.89 करोड़ (उपरोक्त बचत का 39.81 प्रतिशत) समर्पित नहीं किया गया, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, कुल 44 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में निधियों का समर्पण ₹ 10 करोड़ से अधिक) ₹ 4688.66 करोड़ का समर्पण मार्च 2013 के अंतिम दिवस को किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.8** में वर्णित है। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण एवं परिणामस्वरूप निधियों के अवरुद्ध होने से वैकल्पिक विकासीय उद्देश्यों के लिए निधियों का अनुपलब्धता का घोटक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को बचत समर्पण किये जाने के संबंध में विभागों द्वारा कोई कारण/स्पष्टीकरण (अक्टूबर 2013) प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.3.7 अविवेकपूर्ण समर्पण

एक अनुदान (अनुदान संख्या 45) में ₹ 45.83 करोड़ के मूल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 46.55 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामतः ₹ 0.72 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। इसके बावजूद, इन अनुदानों के अधीन राशि ₹ 1.51 करोड़ का समर्पण किया गया, जो अविवेकपूर्ण था। विवरण **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: अविवेकपूर्ण समर्पण

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	का कुल प्रावधान	व्यय	व्यय आधिक्य	समर्पित राशि
अ-राजस्व दत्तमत						
1	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य योग	45.83	46.55	0.72	1.51
			45.83	46.55	0.72	1.51

(स्रोत: विनियोग लेखे 2012-13)

अविवेकपूर्ण समर्पण के संबंध में विभाग द्वारा कोई कारण/स्पष्टीकरण (अक्टूबर 2013) प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.3.8 निरन्तर बचत

अवधि 2008-09 से 2012-13 के दौरान, 12 प्रकरणों (11 अनुदानों) में प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक का लगातार बचत हुआ जैसा कि (**तालिका-2.4**) में दर्शाया गया है यह बचत वर्ष 2012-13 में कुल संबंधित अनुदानों के नौ से 51 प्रतिशत के मध्य रहा जो दर्शाता है कि यथार्थवादी बजट नहीं बनाया गया था।

तालिका 2.4: 2008-2013 के दौरान निरन्तर बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदा- न क्र.	अनुदान/विभाग का नाम	बचत की राशि					कुल प्रावधान	2012-13 का बचत प्रतिशत	
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13			
राजस्व दत्तमत										
1	10	वन	44.11	23.62	34.10	12.01	73.40	671.56	11	
2	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	21.92	16.82	18.10	13.16	30.78	299.88	10	
3	41	आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	258.32	212.90	295.37	78.74	629.07	3693.37	17	
4	44	उच्च शिक्षा	38.12	100.21	34.35	139.25	146.54	434.52	34	
5	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	29.82	151.19	165.61	42.91	156.44	739.30	21	
6	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	80.44	60.64	117.25	37.19	284.43	1211.07	23	
7	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	82.07	39.77	48.81	60.89	56.11	258.74	22	
पूर्जीगत दत्तमत										
8	24	लोक निर्माण कार्य - सड़के एवं पुल	135.42	124.04	40.93	246.36	73.63	845.80	9	
9	41	आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	116.26	117.83	33.22	30.98	734.34	1937.09	38	
10	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-- राडकों और पुल	139.91	133.50	115.70	232.71	234.80	459.90	51	
11	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	53.31	52.14	57.55	263.62	149.14	347.78	43	
12	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-- भवन	75.45	73.92	38.92	57.10	74.24	182.38	41	

(स्वोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

2.3.9 विगत वर्षों (2000-12) से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य शासन के लिए यह बाध्यकारी है कि अनुदान/विनियोग के व्यय आधिक्य को राज्य विधानमंडल से अनुमोदन प्राप्त कर नियमित करा लिया जावे। तथापि 2000-12 के वर्षों में राशि ₹ 2,133.47 करोड़ के व्यय आधिक्य को नियमित (अक्टूबर 2013) कराया जाना था जैसा कि **परिशिष्ट-2.9** में दर्शाया गया है।

2.3.10 वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

वर्ष 2012-13 के दौरान, दो अनुदानों एवं दो विनियोगों में ₹ 0.96 करोड़ की निधियों का प्रावधान से कुल आधिक्य का सारांश **तालिका-2.5** में दिया गया है। जिनका संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमितीकरण कराया जाना आवश्यक है।

तालिका 2.5: 2012-13 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य का वांछित नियमितीकरण

(₹ करोड़ में)					
संक्र.	अनुदान क्र.	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि जिनका नियमितीकरण वांकित है
राजस्व दत्तमत					
1	40	आयकट विभाग से संबंधित व्यय	5.09	5.16	0.07
2	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	45.83	46.55	0.72
राजस्व भारित					
3	6	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	0.17	0.26	0.09
4	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	0.00	0.08	0.08
योग			51.09	52.05	0.96

(स्रोत - विनियोग लेखे 2012-13)

प्रावधान से अधिक व्यय के कारणों का जानकारी राज्य शासन से मांगा गया था (अगस्त 2013) एवं उनका जवाब अपेक्षित है (अक्टूबर 2013)।

2.3.11 व्यय का अतिरेक

व्यय के अतिरेक से, खासकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में बचना चाहिये। इसके विपरीत, 39 मुख्यशीर्षों में व्यय (₹ 6,431.54 करोड़), वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय वर्ष के कुल व्यय (₹ 9,606.99 करोड़), के 50 प्रतिशत से अधिक एवं प्रत्येक प्रकरण में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक हुआ, जबकि 17 प्रकरणों में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान हुआ व्यय (₹ 1,822.10 करोड़), वित्तीय वर्ष 2012-13 के कुल व्यय (₹ 2,384.35 करोड़) के 50 प्रतिशत से भी अधिक रहा जैसा कि **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

2.4 आकास्मिक निधि से अग्रिम

राज्य के आकास्मिक निधि अधिनियम 2001 के अनुसार अदृष्ट व्यय की पूर्ति के उद्देश्य से जिस व्यय का राज्य विधान मंडल से विनियोग नियमों के अन्तर्गत अधिकृत किया जाना लम्बित है के अतिरिक्त निधि से कोई अग्रिम नहीं दिया जावेगा। निधि का प्रचालन एक पेशगी के रूप में किया जाता है, इसकी निकाय सीमा ₹ 40 करोड़ की है। वर्ष 2012-13 के दौरान उपरोक्त अधिनियम से दी गयी प्रक्रिया के प्रतिकूल आकास्मिक निधि से ₹ 15.36 करोड़ के आहरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित दृष्टान्त देखे गये।

- प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत गरीबी रेखा के ऊपर (ए.पी.एल) श्रेणी के बालकों को निःशुल्क गणवेश प्रदान करने हेतु आकास्मिक निधि से ₹ सात करोड़ का अग्रिम स्कूल शिक्षा विभाग को स्वीकृत (जुलाई 2012) किया गया।
- राज्योत्सव मनाने हेतु राशि ₹ पाँच करोड़ सामान्य प्रशासन विभाग को आकास्मिक निधि से अग्रिम स्वीकृत (अक्टूबर 2012) किया गया।
- नारायणपुर में 500 सीटर बालक एवं 500 सीटर बालिका बुनियादी आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु राशि ₹ एक करोड़ का आकास्मिक निधि से अग्रिम आदिम जाति कल्याण विभाग को स्वीकृत (अक्टूबर 2012) किया गया।
- राजस्व विभाग को वर्ष 2013 के डायरी एवं कैलेन्डर के मुद्रण हेतु ₹ एक करोड़ स्वीकृत (अक्टूबर 2012) किया गया।
- राज्योत्सव 2012 के अवसर पर खेल गतिविधियों के प्रदर्शन हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग को राशि ₹ 25 लाख अग्रिम स्वीकृत (नवम्बर 2012) किया गया।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को सिविल सेवा परीक्षा संपन्न कराने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को ₹ एक करोड़ का अग्रिम स्वीकृत (जून 2012) किया गया।
- हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय रायपुर के उत्तीर्ण छात्रों को राज्य शासन के विभागों में विधिक सहायता के रूप में इंटर्नशिप प्रदाय करने हेतु विधि एवं वीधायि विभाग को ₹ 10.80 लाख का अग्रिम स्वीकृत (जून 2012) किया गया।

उपरोक्त से विदित है की आकस्मिता निधि से व्यय न तो अदृष्ट थे और न ही आपात प्रकृति के थे। और इस तरह उपरोक्त व्यय हेतु आकस्मित निधि से राशि आहरण अनियमित थे।

2.5 कोषालय निरीक्षण के परिणाम

2.5.1 भुगतान के एवज देयकों का प्रस्तुत नहीं पाया जाना

कोषालय से प्रतिमाह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किये जाने वाले मासिक लेखा में अप्राप्त प्रमाणकों की जानकारी कोषालय अधिकारी को इस लिये दी जाती है की लंबित प्रमाणकों को शीघ्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करे जिससे उन प्रमाणकों का संकलन समय पर हो।

वर्ष 2012-13 के कोषालय निरीक्षण में पाया गया कि 17 कोषालयों से सम्बंधित राशि ₹ 1.46 करोड़ का 160 प्रमाणक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अप्राप्त थे। जिसका विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.6 वर्ष 2012-13 के कोषालय से अप्राप्त प्रमाणकों का विस्तृत विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	कोषालय	प्रमाणकों कि संख्या	राशि
1	बिजापुर	02	2.07
2	कोरिया	09	3.44
3	रायपुर शहर	02	4.81
4	जसपुर	01	0.06
5	जगदलपुर	19	19.88
6	राजनंदगांव	06	2.22
7	दुर्ग	06	2.25
8	रायगढ़	08	3.26
9	कांकेर	13	17.29
10	बलौदा बाजार	03	0.60
11	बालोद	01	0.13
12	गरियाबन्ध	01	0.01
13	रायपुर	54	45.69
14	मुंगेलि	04	20.48
15	बलरामपुर	02	0.53
16	बिलासपुर	26	21.30
17	जांजगिर	03	2.46
योग		160	146.48

(स्रोत: कोषालय निरीक्षण प्रतिवेदन 2012-13)

2.5.2 पेशन/ग्रेचुटी का अधिक/कम भुगतान

चार कोषालय में संबंधित पेशन भुगतान आदेश /ग्रेचुटी भुगतान आदेश के निरिक्षण में पाया गया कि 18 पेशनरों ने अपना पेशन/ग्रेचुटी प्राप्त नहीं किया जौसा कि विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

2.6 बजट अनुमान तैयार करना

वित्त विभाग संबंधित विभागों द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए धन की आवश्यकता के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी और आँकड़े प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक वर्ष निर्देश जारी करता है। वित्त विभाग के द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रत्येक लेखा शीर्ष के लिए विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रण अधिकारी बजट अनुमान तैयार करता है और इसे अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग को अग्रेषित करता है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर, वित्त विभाग द्वारा राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत करने के लिए एफ.डी द्वारा बजट अनुमान तैयार किया जाता है।

वित्त विभाग, संचालनालय कृषि और मुख्य अभियंता, लोक स्वारक्षण यांत्रिकी विभाग से राज्य स्तर पर बजट अनुमान तैयार करने और प्रस्तुत करने की जानकारी के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

2.6.1 शीर्षों का गलत वर्गीकरण

संघ और राज्यों के लेखा शीर्षों का निर्धारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के सलाह पर महालेखानियंत्रक (सी जी ए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। शासकीय लेखे में संव्यवहारों का वर्गीकरण सी जी ए द्वारा जारी की गई संघ और राज्यों के मुख्य और लघु शीर्ष में निर्धारित लेखा शीर्षों के अनुसार की जानी चाहिए।

वर्ष 2012-13 के लिए छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित कुछ अनुदानों की बजट पुस्तिका से प्रकट हुआ कि चार शीर्षों का वर्गीकरण उचित लेखा शीर्षों के अनुसार नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण तालिका 2.7 में दर्शाया गया है

तालिका 2.7 वर्गीकरण उचित लेखा शीर्ष में न होना

संख्या	बजट पुस्तक के अनुसार वर्गीकरण	लेखों की मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार वर्गीकरण
1	10-2406-02-070	10-2406-01(वनिकरण)-070
2	39-4408-02-191	39-4408-02-195 (सहकारिता में निवेश)
3	17-4408-02-191	17-4408-02-195(सहकारिता में निवेश)
4	41-4408-02-191	41-4408-02-195 (सहकारिता में निवेश)

तालिका से देखा जा सकता है कि लघु शीर्ष 070- संचार एवं भवन उप मुख्य शीर्ष 01 वानिकी के अंतर्गत है जो मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी के अंतर्गत 02-पर्यावरणीय वानिकी और वन्य प्राणी में वर्गीकृत था।

इसी तरह मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार लघु शीर्ष 195 के अन्तर्गत '(सहकारिता में निवेश)' का गलत वर्गीकरण लघु शीर्ष 191 के अंतर्गत किया गया। संघ और राज्यों के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के सामान्य निर्देशों के अनुसार आरक्षित निधियों जमा लेखों की अन्तरण (कोड "797") लघु शीर्ष यथावश्यक अनुभाग) "व्यय शीर्ष" (राजस्व लेखा) में कार्यात्मक मुख्य/उप मुख्य शीर्षों के अधीन खोला जाना चाहिए। वास्तविक व्यय के राजस्व, पूँजीगत अथवा कर्ज के स्वरूप के आधार पर राजस्व अनुभाग, पूँजी अनुभाग या ऋण अनुभाग में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के अधिन संगत कार्यक्रम लघु शीर्ष के नामे किया जाएगा। इन मामलों में आरक्षित निधि /जमा लेखों से वित्तपोषित राशियों के लघु शीर्ष के अन्तर्गत घटाकर अलग कोड संख्या "902" आदि लिखकर राजस्व, पूँजीगत अथवा ऋण अनुभाग में जहां वार्तविक व्यय नामे डाला गया है कार्यात्मक मुख्य/ उप मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाएगा। बजट पुस्तक की समीक्षा के दौरान हमने देखा कि 11 लेखा शीर्षों का गलत वर्गीकरण किया गया एवं संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में निर्धारित शीर्षों से मेल नहीं खाते हैं।

उदाहरण के लिए सेक्षन व्यय शीर्ष में मुख्य शीर्ष 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क के अन्तर्गत लघु शीर्ष '797- आरक्षित निधि/ जमा लेखों में अन्तरण खोलने के बजाय लघु शीर्ष 103 - संग्रहण प्रभार- विधुत शुल्क (1) और 200 - संग्रहण प्रभार अन्य कर तथा शुल्क (2) खोले गये।

इसी तरह अन्य आठ प्रकरणों में पाँच मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकरण लघु शीर्ष "902 -घटाइये- (विभिन्न आरक्षित निधि) से पूरी की गई राशि" के जगह लघु शीर्ष 102, 101 और 800 में किया गया एक प्रकरण में मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अन्तर्गत नलकूप के रखरखाव लघु शीर्ष 02- 103 नलकूप के बजाय 03 - 103 के तहत उल्लेखित किया जाना चाहिए था। गलत वर्गीकरण का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-2.12** में दिया गया है।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि वर्गीकरण में त्रुटियों के सुधार और संशोधन के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को एक पत्र 21 मई, 2013 को लिखा गया है। गलत वर्गीकरण वर्ष 2012-13 के मार्च अनुपूरक लेखे में सुधार लिये गये हैं।

2.6.2 वार्षिक योजना में बिना प्रावधान के बजट प्रावधान करना

छत्तीसगढ़ द्वारा अंगीकृत मध्यप्रदेश बजट मैन्यूल के अध्याय -III के पैरा 38 के अनुसार विधिवत विस्तृत व्याख्यात्मक नोट द्वारा समर्थित निर्धारित प्रपत्र में गैर-योजना, योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना और केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत व्यय के लिए अलग अनुमान भेजा जाना चाहिए। आयोजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं के लिए प्रावधान में मौजदा संस्थानों स्थापना आदि के विस्तार के अतिरिक्त उन व्ययों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिसका पूर्वानुमोदन राज्य योजना विभाग द्वारा प्राप्त हो चुका है और इस तरह अनुमान बजट अनुमान में शामिल होने से पहले राज्य योजना विभाग द्वारा अनुमोदित कराया जाय।

कृषि विभाग के बजट प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान हमने देखा (जून 2013) कि वर्ष 2012-13 के लिए विभाग ने योजना 7333-पोर्ट हावेर्स्ट प्राद्योगिक कृषि यंत्रों का प्रचार प्रसार के तहत ₹ 2.52 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव के विस्तृत

शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1.40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया, उसमें से विभाग ने ₹ 93.41 लाख पुनर्विनियोजित किया और ₹ 1.65 लाख की अंतिम बचत के साथ ₹ 44.94 लाख का व्यय किया। परंतु इस योजना के लिए प्रावधान राज्य सरकार की वार्षिक योजना (2012-13) में शामिल नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात, अतिरिक्त संचालक (वित्त) कृषि ने बताया (जून 2013) कि योजना विभाग के वार्षिक प्रस्ताव में शामिल था। वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को जारी रखने हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त न होने के कारण राज्य सरकार की वार्षिक योजना में प्रावधान नहीं किया गया। हालांकि कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं और उपयोग पर विचार करते हुए बजट प्रावधान किया गया। हालांकि कृषि विभाग ने प्रस्ताव के साथ किसी भी व्याख्यात्मक नोट प्रस्तुत नहीं किया। उपरोक्त से संकेत मिलता है कि बजट अनुमान तैयार करते समय मैनुअल के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

2.6.3 यथार्थ बजट न बनाना

मध्यप्रदेश बजट मैनुअल के अध्याय III के पैराग्राफ 25 के अनुसार, स्वीकृत पदों की अपेक्षा, आगामी वर्ष में सेवा पर रहने वाले संभावित अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं उनके द्वारा आहरित किये जाने वाले संभवतः वास्तविक वेतन पर होने वाले संभावित व्यय के आधार पर अनुमानों को बनाना चाहिए। निदेशक, कृषि विभाग के अभिलेखों की जाँच (जून 2013) के दौरान हमने देखा कि विभाग वर्ष 2012-13 के लिए आयोजनेतर व्यय जैसे वेतन और भत्ते का बजट प्रस्ताव स्वीकृत पदों के आधार पर तैयार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.32 करोड़ का समर्पण /बचत हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, अतिरिक्त संचालक (वित्त), कृषि ने बताया (जुलाई 2013) कि बचत रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं होने के कारण हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि अनुमान बजट मैनुअल के प्रावधानों के पालन के बिना तैयार किये गये।

2.7 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान संख्या 27-स्कूल शिक्षा का समीक्षा किया गया और समीक्षा में प्रकट हुए तथ्यों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफ में किया गया:-

तीन बजट नियन्त्रण अधिकारी जिनके नाम हैं आयुक्त, लोकशिक्षण संचालनालय (डी पी आई); संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस सी ई आर टी) और संचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना (एन सी सी) अनुदान संख्या -27, स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत बजट प्राप्त करते हैं। अनुदान संख्या -27, स्कूल शिक्षा की वर्ष 2012-13 की समीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:-

2.7.1 अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान

हमने पाया कि कुछ योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान किये गये थे परन्तु वर्ष 2012-13 के दौरान कुल व्यय इन योजनाओं में मूल प्रावधान से भी कम था जैसा कि तालिका:- 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: अनुपूरक प्रावधान के बाद बचत

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	बी.सी.ओ	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	व्यय	मूल प्रावधान से बचत
1	2	3	4	5	6	7 (3-6)
27-2202-01-107-0701-1502(जिला शिक्षा ओर प्रशिक्षण संस्थान)	डी पी आई	15.01	3.20	18.21	13.05	1.96
27-2202-02-105-0701-3694 राज्य शैक्षिक संस्थानों का पुनर्गठन	एस सी ई आर टी	0.83	0.20	1.03	0.50	0.33
27-2202-02-109-0101-578 उच्चतर माध्यमिक शाला	डी पी आई	332.00	0.25	332.25	236.30	95.70
कुल		347.84	3.65	351.49	249.85	97.99

(स्रोत:- विनियोग लेखे 2012-13)

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 के दौरान किये गये अनुपूरक प्रावधान ₹ 3.65 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुई जैसा कि व्यय मूल प्रावधान से भी कम था। बचत ₹ 97.99 करोड़ को देखते हुए अनुपूरक प्रावधान के माध्यम से राशि में बढ़ोत्तरी अनावश्यक साबित हुई। इसे इंगित किए जाने पर, डी पी आई ने बताया (सितम्बर 2013) कि रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती न होने और कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना की स्वीकृति में विलम्ब होने के कारण बचत हुई। एस सी ई आर टी ने बताया (सितम्बर 2013) कि भारत सरकार से समय पर राशि विमुक्त न होने के कारण बचत हुई।

2.7.2 व्यय का अतिरेक

छत्तीसगढ़ द्वारा अंगीकृत मध्यप्रदेश बजट मेन्यूअल के अध्याय X के पैरा 92 के अनुसार व्यय के अतिरेक से, खासकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में बचना चाहिए।

अनुदान संख्या 27 से सम्बंधित डी पी आई के अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतिम तिमाही में कुल प्रावधान ₹ 261.37 करोड़ में से राशि ₹ 257.15 करोड़ (98.38 प्रतिशत) व्यय की गई। विभाग के व्यय के विश्लेषण में आगे पाया गया कि 19 योजनाओं में अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता 73 से शत प्रतिशत के बीच रही जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -2.13** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, डी पी आई ने बताया (सितम्बर 2013) कि भारत सरकार द्वारा अंतिम तिमाही में राशि विमुक्त किये जाने के कारण तथा प्रशासकीय स्वीकृति मिलने में देरी होने के कारण राशि अंतिम तिमाही में व्यय की गई। मार्च 2013 में की गई व्यय के आंकड़े प्रस्तुत नहीं की गई यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 2013 में मांगी गई थी।

2.7.3 निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक ही अनुदान के तहत् जहाँ एक विनियोग इकाई में बचत की संभावना है से दूसरी इकाई में जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अन्तरण है। वर्ष 2012-13 के दौरान राशि ₹ 75.48 लाख का पुनर्विनियोजन दो शीर्षों में किये गये थे जिसका वर्स्तृत विवरण **तालिका-2.9** में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.9: अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ लाख में)

स.क.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	पुनर्विनियोजन	बचत
1	27-2202-05-001-3858	878.80	772.24	0.60	107.16
2	27-2202-80-800-1084	321.00	270.41	74.88	125.47
	योग	1,199.80	1,042.65	75.48	232.63

(स्रोत: विनियोग लेखे 2012-13)

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि पुनर्विनियोजन से अतिरिक्त राशि ₹ 75.48 लाख प्रावधान करने के परिणामतः कुल मिलाकर ₹ 2.33 करोड़ की प्रावधानित राशि उपयोग नहीं की जा सकी और इस तरह निधि का पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुई। इसे इंगित किये जाने पर, डी पी आई ने बताया कि जिला कार्यालयों से वार्तविक व्यय सम्बंधी जानकारी समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण पूर्ववर्णित निधियों का समर्पण नहीं किया जा सका। यह बजट और व्यय के उपर उचित अनुश्रवण एवं नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

2.7.4 यथार्थ बजट न बनाना

छत्तीसगढ़ द्वारा अंगीकृत मध्यप्रदेश बजट मेन्युअल के अध्याय-III के पैरा-31 के अनुसार यह सम्भाव्य है कि बजट अनुमान पूर्व निर्देशों के अनुसार सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए। वे इसलिए पिछले तीन वर्ष में बजट अनुमान और वार्तविक के बीच के अंतर के सन्दर्भ में जाँच की जानी चाहिए और प्रस्तावित राशि उस आधार पर कम किया जाना चाहिए। बजट अनुमानों में नियमानुसार एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए।

अनुदान संख्या 27 की समीक्षा के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2012-13 में पाँच योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधान ₹ 21.27 करोड़ के विरुद्ध सारभूत बचत ₹ 18.80 करोड़ (88 प्रतिशत) हुआ और इस योजनाओं के अन्तर्गत समर्पण 84 प्रतिशत से शत प्रतिशत के बीच रहा जिसका वर्तुत विवरण **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.10: सारभूत बचतें

(₹ लाख में)

संक्र.	लेखा शीर्ष	बी सी ओ	प्रावधान	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	2204-00-800-0000-1084-25-001	डी पी आई	121.00	0	121.00	100
2	2202-80-001-0101-5528-14-001	डी पी आई	5.00	0	5.00	100
3	2202-80-800-1201-6725-14-012	डी पी आई	368.00	0	368.00	100
4	2202-02-109-6794	डी पी आई	1,528.00	240.38	1,287.62	84.27
5	2202-04-200-6943	डी पी आई	105.00	6.96	98.04	93.37
कुल			2,127.00	247.34	1,879.66	88.37

(स्रोत:- विभागीय आँकड़े)

जवाब में डी पी आई ने बताया कि शीर्ष 2202-80-001-5528 के अन्तर्गत राशि छत्तीसगढ़ भाषा परिषद में अध्यक्ष और सचिव पद रिक्त होने के कारण व्यय नहीं की जा सकी। है और आगे बताया कि शीर्ष 2202-80-800-1201-6725-14-012 के अन्तर्गत राशि के उपयोग नहीं होने के कारण से अलग से अवगत कराया जायेगा। अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत के सम्बन्ध में डी पी आई ने प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने में देरी तथा यूरोपीय राज्य साझेदारी कार्यक्रम के तहत शासन से राशि विमुक्त नहीं होने का कारण बताया।

यह इंगित करता है कि अनुमान वास्तविक आवश्यकताओं का आंकलन किए बिना तैयार किये गये और याथर्थ नहीं थे।

2.7.5. बजट प्रावधान का व्यपगत होना

मध्यप्रदेश बजट मेन्युअल के अध्याय X के पैरा 91(3) के अनुसार इसी प्रत्याशित बचतें यदि वे पूर्व दृश्य हो, वर्ष के अन्त तक इन्तजार किए बिना सरकार को तुरन्त समर्पित कर देना चाहिए, यदि वे कुछ अन्य इकाईयों के तहत अधिक्य जो उस समय निश्चित रूप से पूर्व दृष्ट हो में आवश्यक न हो। कोई भी बचत भविष्य के सम्भाव्य आधिक्य के लिए आरक्षित नहीं रखना चाहिए।

अनुदान संख्य 27 से सम्बंधित निदेशक, एस सी ई आर टी के अभिलेखों के जाँच में हमने देखा कि वर्ष 2012-13 के दौरान नौ योजनाओं के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान ₹ 27.72 करोड़ में से राशि ₹ 10.36 करोड़ (37 प्रतिशत) व्यपगत हुए और व्यपगत निधियों की प्रतिशतता 28 से 92 के बीच रही जिनका विस्तृत विवरण तालिका 2.11 में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.11: बजट प्रावधान का व्यपगत होना

(₹ लाख में)

योजना	आयोजना			
	अनुपूरक कुल प्रावधान	सहित	व्यपगत राशि	व्यपगत राशि का प्रतिशत
27-2202-5708 (योगा प्रशिक्षण)	43.00	28.07	65	
27-2202-701-1502 (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान)	1,820.90	534.15	29	
27-2202-801-1502 (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान)	338.30	159.65	47	
27-2202-801-4402 (शासकीय शिक्षा महाविधालय)	21.20	16.14	76	
27-2202-801-3694 (एस सी ई आर टी)	220.40	120.38	55	
27-2202-801-5569 (राज्य शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान)	69.50	19.14	28	
27-2202-801-67 (अंग्रेजी भाषा शिक्षा संस्थान)	60.40	17.99	30	
27-2202-701-4402 (शासकीय शिक्षा महाविधालय)	95.60	87.63	92	
27-2202-701-3694 (एस सी ई आर टी)	103.00	53.00	51	
योग	2,772.30	1,036.15		

(रत्नोत्तम: विभागीय आंकड़े)

बजट का व्यपगत होना उचित निगरानी और निधि के उपयोग पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। इसे इंगित किये जाने पर एस सी ई आर टी ने बताया (सितम्बर 2013) कि विभिन्न कारणों से जैसे स्वीकृत पदों के खाली रहने, वार्षिक योजनानुसार प्रशिक्षण आयोजित न किए जाने और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, भारत सरकार से राशि विमुक्ति में देरी होने के कारण व्यय नहीं की जा सकी।

2.7.6 समर्पण प्रस्ताव भेजने में देरी

हमने देखा कि डी पी आई ने समर्पण प्रस्ताव (31 मार्च 2013) राशि ₹ 587.34 करोड़ दोनों आयोजना (₹ 424.25 करोड़) और आयोजनेतर (₹ 163.09 करोड़) शीर्ष के अन्तर्गत वित्त विभाग को भेजा। हलांकि वह विनियोग लेखे 2012-13 में दर्शाया नहीं गया। यह इंगित करता है कि प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और अंततः वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत में व्यपगत हो गया।

यह पर्याप्त निगरानी और बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शता है।

इसे इंगित किये जाने पर डी पी आई ने बताया (सितम्बर 2013) कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यय की प्रत्याशा में राशि समर्पित नहीं की जा सकी।

2.8 साधारण पावती (एस आर) देयक की समीक्षा

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता (सी जी टी सी) के नियमों में व्यय के सभी प्रकार के मदों के लिए कोषालय में प्रस्तुत किये जाने वाले देयकों के प्रारूप निर्धारित है। इस आधार पर देयक तैयार करना तथा कोषालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का उत्तर दायित्व है। सी जी टी सी के सहायक नियम 282,441(क) (ii), 618 तथा 630 के अंतर्गत कोषालयों में साधारण पावती देयक (सी जी टी सी -76) के माध्यम से स्थाई अग्रिम, पटेली कमीशन तथा प्रकरण एवं अग्रिम के आहरण का प्रावधान है। सी जी टी सी के सहायक नियम 282 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों जिन्हें कोषालय पर देयक प्रस्तुत कर धन निकालने के पूर्व आकस्मिक व्यय का भुगतान करना होता है, ऐसा भुगतान वे स्थाई अग्रिम से या पंशगी से कर सकते हैं। स्थायी अग्रिम की राशि कोषालय से प्रपत्र सी जी टी सी 76 के एक साधारण पावती प्रपत्र में अग्रिम स्वीकृति के आदेश की प्रति संलग्न कर निकाली जानी चाहिए तथा समस्त संस्वीकृतियाँ महालेखाकार को भेजी जानी चाहिए। सहायक नियम 441 के अनुसार साधारण पावती देयक प्रपत्र सी जी टी सी -76 में कोषालय से पटेली कमीशन² की राशि आहरित की जाती है। सहायक नियम 618 के अनुसार ऋण तथा अग्रिम पेशगी तथा अन्य विविध अग्रिम का भुगतान साधारण पावती प्रपत्र सी जी टी सी -76 में आहरित किए जा सकते हैं। साधारण पावती देयक का उपयोग विशेष उद्देश्य शीर्षों यथा स्थायी अग्रिम पटेली कमीशन एवं ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर अन्य उद्देश्य शीर्षों के व्यय हेतु नहीं किया जाना चाहिए। व्यय के अन्य उद्देश्य शीर्षों के आहरण हेतु देयकों के प्रकार का विवरण **परिशिष्ट 2.14** में वर्णित है।

2.8.1 साधारण पावती देयक से आहरण की स्थिति

वर्ष 2009 से 2013 की अवधि में, राज्य में साधारण पावती देयक से ₹ 16,664 करोड़ का आहरण किया गया एवं अंतिम व्यय के रूप में लिया गया। वर्ष 2009 से 2013 की अवधि में साधारण पावती देयक से आहरण का विवरण तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12 :-राज्य में 2009-13 की अवधि में साधारण पावती देयक से आहरित राशि का विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष	साधारण पावती देयक में आहरण	कुल व्यय ³	कुल व्यय की तुलना में मात्रा (प्रतिशत में)
2009-10	3,593	20,910	17
2010-11	4,240	22,876	19
2011-12	5,582	27,957	20
2012-13	3,249	33,780	10
योग	16,664	1,05,523	16

(स्रोत: व्ही एल सी आंकड़े)

² भु-राज्यसव संग्रहण हेतु दिया गया कमिशन।

³ कुल व्यय में राज्यसव व्यय, पुँजीगत व्यय, ऋण तथा अग्रिम तथा अंतर्राज्यीय समायोजन सम्मिलित हैं।

तालिका- 2.12 से स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 में कुल व्यय की तुलना में एस.आर. देयक से आहरण का प्रतिशत 17 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 20 प्रतिशत और 2012-13 में घटकर 10 प्रतिशत हो गया। यद्यपि कुल व्यय की तुलना में एस.आर. देयक से आहरण का प्रतिशत वर्ष 2009-10 में 17 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 10 प्रतिशत हो गया। वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के वित्त निर्देशों (दिसम्बर 2012 एवं फरवरी 2013) के द्वारा एस आर देयकों से अनियमित आहरण से बचने के लिए निधियों का आहरण उचित देयक से किए जाने के निर्देश के बावजूद जनवरी 2013 से मार्च 2013 की अवधि में राशि ₹ 192.71 करोड़ का अनियमित आहरण एस.आर. देयक प्रपत्र सी जी टी सी 76 से किया गया। ये आहरण विभिन्न उद्देश्य शीर्ष यथा वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, सामग्री एवं पूर्ति, अनुरक्षण कार्य, निर्माण कार्य, सहायक अनुदान, वाहनों का क्रय आदि से संबंधित हैं। वित्त निर्देशों का अनुपालन ना किया जाना आहरण एवं संवितरण में आंतरिक नियंत्रण, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

आठ चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी डी ओ) के एस.आर. देयकों से संबंधित अभिलेखों की जाँच में निधियों का अनियमित आहरण, व्यय नहीं हुआ राशि का वापस ना किया जाना, प्रमाणक/पूर्णता प्रमाण-पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुत ना किया जाना, एवं भुगतानशुदा प्रमाणक प्रस्तुत ना किया जाना पाया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

2.8.2 एस.आर. देयक से निधियों का अनियमित आहरण

आठ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून, जुलाई एवं सितम्बर 2013) में हमने देखा कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि में राशि ₹ 2260.09 करोड़ का अनियमित आहरण एस.आर. देयक से किया गया। ये आहरण विभिन्न उद्देश्य शीर्षों यथा वेतन एवं भत्ते (01), मजदूरी (02), कार्यालय व्यय (04), प्रशिक्षण (05), विज्ञापन एवं प्रचार (09), व्यवसायिक सेवा हेतु अदायगी (10), छात्रवृत्तियाँ, एवं अन्य हित लाभ (11), सहायक अनुदान (14), सम्मेलन (17), पारितोषिक (18), अनुरक्षण कार्य (24) सामग्री और पूर्तियाँ (25), लघु निर्माण कार्य (27) एवं निर्माण कार्य (97) आदि हैं जिनका अनियमित आहरण एस.आर. देयक से प्रपत्र सी जी टी सी -76 में किया गया।

2009-13 की अवधि में साधारण देयक से निधियों की अनियमित आहरण को निम्नलिखित तालिका 2.13 में दर्शाया गया है:-

आठ आहरण एवं संवितरण के द्वारा पाया गया की वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान एस.आर. देयक से ₹ 2260.09 करोड़ का अनियमित आहरण किया गया।

तालिका 2.13:- साधारण देयक से अनियमित आहरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	साधारण देयक से आहरित राशि
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर	414.81
2	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायपुर	203.07
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर	430.68
4	सहायक कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर	148.43
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जगदलपुर	133.53
6	सहायक कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जगदलपुर	149.36
7	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अंबिकापुर	692.78
8	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला पंचायत अंबिकापुर	87.43
	योग	2,260.09

उपरोक्त उद्देश्य के लिए निधियों के आहरण हेतु देयकों के प्रपत्र निर्धारित है जिसका उपयोग आहरण हेतु प्रमाणक के साथ किया जाना चाहिए। ऐसे प्रपत्रों की विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.14** वर्णित है। परंतु उक्त राशियों की आहरण साधारण देयक प्रपत्र सी जी टी सी -76 में बिना प्रमाणक संलग्न किए केवल आबंटन पत्र एवं सक्षम अधिकारी के स्वीकृति आदेश के आधार पर किया गया है। इन उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत निधियों के आहरण हेतु एस. आर. देयक का प्रयोग करना छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता एवं वित्त विभाग के निर्देशों (दिसम्बर 2012) के विपरीत है। इस प्रकार एस. आर. देयक से आहरित धन शासकीय लेखों में अंतिम व्यय के रूप में बुक किया गया है और इस तरह उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी)/समायोजन प्रमाणक को कोषालय एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाने की अनिवार्यता से बचने का प्रयास किया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, बिलासपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जगदलपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अंबिकापुर) ने अपने उत्तर में बताया (जून एवं सितम्बर 2013) कि इस संबंध में शासन से कोई निर्देश प्राप्त ना होने के कारण निधियों का आहरण एस. आर. देयक से प्रपत्र सी जी टी सी 76 में किया गया। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, बिलासपुर ने अपने उत्तर में बताया कि शासन के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात जनवरी 2013 से निधियों का आहरण देयकों के उचित प्रपत्र में किया जा रहा है। अन्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी के उत्तर अप्राप्त (अक्टुबर 2013) है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यय के विभिन्न उद्देश्य शीर्षों के अंतर्गत निधियों के एस.आर. देयक से एवं अन्य प्रकार के देयकों से आहरण हेतु छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम नवम्बर 2000 से ही प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को निर्देश (दिसम्बर 2012) जारी किए गए थे। इसलिए एस.आर. देयकों के माध्यम से धन के आहरण संबंधी निर्देश प्राप्त ना होने का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के निर्देश के जनवरी 2013 से अनुपालन की पुष्टि सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग बिलासपुर, रायपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा किये जाने के बावजूद जनवरी 2013 से मार्च 2013 की अवधि में आठ चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारी में से 6 आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा राशि ₹ 30.12 करोड़⁴ रूपये का एस.आर. देयक के माध्यम से अनियमित आहरण किया गया।

2.8.3 एस.आर. देयक से आहरित व्यय नहीं हुए शेष राशि ₹ 185.61 करोड़ का वापस न किया जाना

मध्यप्रदेश बजट मेन्यूआल के पैरा 118 (8) के अनुसार, विनियोग या उसका अंश राशि जिसकी किसी वित्तीय वर्ष में आवश्यकता प्रतीत हो तथा व्यपगत या बचत होना पूर्वदृष्ट हो उसे विभाग द्वारा समर्पित किया जाना चाहिए।

आठ आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में हमने देखा कि वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि में एस.आर. देयक से आहरित राशि ₹ 2260.09 करोड़ में से 31 मार्च 2013 की स्थिति में राशि ₹ 185.61 करोड़ व्यय नहीं हुआ थी। विस्तृत विवरण तालिका 2.14 में दर्शित है।

तालिका 2.14 :- शासकीय लेखे में वापस नहीं की गई अव्यपित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	व्यय न किए गये शेष राशि
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर	0.72
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर	77.88
3	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर	7.30
4	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जगदलपुर	24.11
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अम्बिकापुर	75.60
	योग	185.61

⁴ सी.ई.ओ. जिला पंचायत जगदलपुर ₹ 3.21 करोड़, सी.ई.ओ. जिला पंचायत अम्बिकापुर ₹ 20.94 करोड़ ए.सी.टी.डी. रायपुर ₹ 0.02 करोड़ ए.सी.टी.डी. बिलासपुर ₹ 0.03 करोड़ ए.सी.टी.डी. जगदलपुर ₹ 3.78 करोड़ ए.सी.टी.डी. अम्बिकापुर ₹ 2.14 करोड़

उक्त राशि में से दिनांक 31 मार्च 2013 की स्थिति में ₹ 1.55 करोड़⁵ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, बिलासपुर के व्यक्तिगत निक्षेप खाता में जमा था तथा शेष राशि ₹ 183.57 करोड़ अन्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी के बैंक खाते में जमा था। राशि ₹ 183.57 करोड़ में से ₹ 26.11 करोड़ तीन वर्षों से अधिक समय से तीन⁶ आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास एवं राशि ₹ 72.48 करोड़ दो वर्षों से अधिक समय से दो⁷ आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास अवरुद्ध है। व्यय नहीं हुए राशि को शासकीय लेखे में वापस नहीं किया गया (सितम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर ने अपने उत्तर में बताया (जून 2013) व्यय नहीं हुए शेष राशि को बैंक बचत खाता में रखा जाता है एवं मांग के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी को राशि अन्तरण किया जाता है सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर बताया (जून 2013) की चालू निर्माण कार्य से संबंधित व्यय नहीं राशि (₹ 1.55 करोड़) को व्यक्तिगत निक्षेप खाते में एवं छत्रवृत्ति से संबंधित शेष राशि को नोडल बैंक के खाते में जमा रखा गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अम्बिकापुर ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि स्वीकृत कार्यों के प्रगति में होने के कारण व्यय नहीं शेष राशि बचत खाते रखा गया मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायपुर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जगदलपुर एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, अम्बिकापुर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय नहीं हुए शेष राशि को समर्पित/वापस नहीं किया गया तथा उक्त राशि को बैंक बचत खाते तथा व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा रखा गया। यह दर्शाता है कि बिना तत्काल आवश्यकता के निधियों का कोषालय से अनियमित आहरण एस आर देयक से किया गया।

2.8.4 राशि ₹ 504.05 करोड़ को प्रमाणक /पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र (सी सी/यू सी) प्रस्तुत नहीं किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 190 के अनुसार शासन की ओर से किए गए प्रत्येक भुगतान के विरुद्ध प्रमाणक होगा।

एस. आर. देयक आहरित राशि से ₹ 504.05 करोड़ का प्रमाणक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

आठ चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लेखाओं की लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2009-13 की अवधि में एस आर देयक से अनियमित रूप से आहरित कुल राशि ₹ 2260.09 करोड़ के विरुद्ध व्यय राशि ₹ 504.05 करोड़ के प्रमाणक /पूर्णता प्रमाण पत्र (सी सी)/उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। उक्त व्यय

⁵ 2010-11 में ₹ 0.25 करोड़, 2011-12 में ₹ 0.79 करोड़ 2012-13 में ₹ 0.51 करोड़।

⁶ ए.सी.टी.डी. बिलासपुर ₹ 58.72 लाख ए.सी.टी.डी. जगदलपुर ₹ 16.87 करोड़ रु.ई.ओ.जिला पंचायत अविकापुर ₹ 08.65 करोड़।

⁷ रु.ई.ओ. जिला पंचायत रायपुर ₹ 0.68 करोड़ रु.ई.ओ. जिला पंचायत बिलासपुर ₹ 71.80 करोड़।

विभिन्न उद्देश्य शीर्षों यथा कार्यालय व्यय, सामग्री एवं पूर्ति, अनुरक्षण कार्य, छात्रवृत्ति, निर्माण कार्य, सहायक अनुदान, वाहनों के क्रय आदि पर किया गया है। विस्तृत विवरण तालिका 2.15 में दर्शित है।

तालिका 2.15 :- प्रमाणक/पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र	संवितरण अधिकारी का नाम	राशि
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर	163.58
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जगदलपुर	84.52
3	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जगदलपुर	85.80
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर	0.10
5	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, बिलासपुर	39.82
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अम्बिकापुर	130.23
योग		504.05

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया (जून एवं सितंबर 2013) में बताया कि प्रमाणक /सी सी/यू री का संधारण अंतिम क्रियान्वयन ऐजेसी यथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (ज प) एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ) द्वारा किया जाता है एवं उनके द्वारा प्रमाणक/पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसी प्रकार जाँच करने पर पाया गया कि 2009-13 की अवधि में मध्यान्ह भोजन योजना (एम.डी.एम) के अन्तर्गत कुकिंग कास्ट एवं रसोईया मानदेय के भुगतान हेतु सामग्री एवं पूर्ति (25) एवं मजदूरी (02) उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत मु का अ जिला पंचायत जगदलपुर द्वारा एस.आर.देयक से आहरित राशि ₹ 84.52 करोड़ में से राशि ₹ 11.55 करोड़ रूपये विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर को प्रदाय किया गया था। राशि ₹ 11.55 करोड़ के विरुद्ध मार्च 2013 की स्थिति में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर के पास व्यय नहीं हुए संचयी राशि ₹ 2.51 करोड़ वर्ष 2009-10 से बचत खाते में पड़ी थी और विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जगदलपुर को कोई यू री/ समायोजन प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर ने उत्तर में बताया (जून 2013) कि प्राप्त में वास्तविक व्यय राशि से अधिक होने के कारण राशि शेष बची है एवं आय-व्यय की जानकारी मासिक व्यय पत्रक (एम ई आर) के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जगदलपुर को प्रस्तुत किया गया था। उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर शेष राशि शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।

उत्तर इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना राशि का अनियमित आहरण एस आर देयक से किया गया एवं क्रियान्वयन ऐजेसी से मांगपत्र प्राप्त किए बिना ही राशि प्रदाय किया गया। इसके अतिरिक्त, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास यूरी अथवा समायोजन प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने के कारण वास्तविक व्यय की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

2.8.5 छात्रवृत्ति मद में राशि ₹ 121.14 करोड़ के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना

वित्त विभाग के निर्देश (फरवरी 2013) के अनुसार छात्रवृत्ति मद (उद्देश्य शीर्ष 11) के अंतर्गत निधि का आहरण प्रपत्र सी जी टी सी 47 (सक्षम अधिकारी के स्वीकृति से समर्थित) अथवा साधारण देयक प्रपत्र सी जी टी सी 76 से अग्रिम आहरण कर, इस शर्त के साथ कि छात्रवृत्ति के मूल प्रमाणक यथासमय पूर्ण विवरण सहित महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाएगा।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2013) में पाया गया कि छात्रवृत्ति मद के अंतर्गत राशि ₹ 83.87 करोड़ का आहरण एस आर देयक से किया गया था। वर्ष 2009-13 की अवधि में ₹ 83.87 करोड़ रूपये के विरुद्ध राशि ₹ 77.26 करोड़ बी ई ओ को वितरित किया गया जबकि व्यय नहीं हुए राशि ₹ 6.61 करोड़ वर्ष 2009-10 से सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर के बचत खाते में पड़ा है। उक्त वितरीत राशि के विरुद्ध राशि ₹ 7.39 करोड़ के भुगतान प्रमाणक उपलब्ध कराए गए एवं शेष राशि ₹ 69.87 करोड़ के भुगतान प्रमाणक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार, वर्ष 2009-13 की अवधि में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जगदलपुर द्वारा छात्रवृत्ति मद में राशि ₹ 60.67 करोड़ का आहरण एस आर देयक से किया गया एवं जिसमें से राशि ₹ 58.97 करोड़ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को वितरीत किया जाना दर्शाया गया एवं व्यय नहीं हुए राशि ₹ 1.10 करोड़ वर्ष 2009-10 से बचत बैंक खाते में पड़ा है। व्यय किए गए राशि ₹ 58.97 करोड़ के विरुद्ध ₹ 7.70 करोड़ के भुगतान प्रमाणक उपलब्ध थे। राशि ₹ 51.27 करोड़ के भुगतान प्रमाणक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

छात्रवृत्ति भुगतान राशि ₹ 121.14 करोड़ का प्रमाणक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस प्रकार भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मार्च 2013 की स्थिति में कुल व्यय राशि ₹ 121.14 करोड़ (₹ 69.87 करोड़ + ₹ 51.27 करोड़) की सत्यता सुनिश्चित नहीं कि जा सकती।

लेखापरीक्षा में इंगित के किए जाने पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर ने अपने उत्तर में बताया (जून 2013) की प्रमाणक का संधारण किया जाता है एवं यू सी/ व्यय पत्रक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त किया जाता है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जगदलपुर ने अपने उत्तर में बताया (जूलाई 2013) कि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर का उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि अपने उत्तर के समर्थन में कोई प्रमाणक/यूसी/व्यय पत्रक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

आगे विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तर की जाँच पर पाया गया कि वर्ष 2009-13 की अवधि में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जगदलपुर द्वारा छात्रवृत्ति मद में एस आर

देयक से आहरित राशि ₹ 60.07 करोड़ में से ₹ 7.91 करोड़ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर को प्रदाय किया गया था। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, द्वारा हितग्राहियों को छात्रवृत्ति का वितरण किए जाने हेतु संख्या प्रमुख/प्रार्चाय/शाला, आश्रम, छात्रावास अधीक्षक के खाते में जमा करने हेतु, बैंक मैनेजर के पक्ष में चेक प्रदाय किया गया। बी ई ओ जगदलपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राशि ₹ 7.50 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया गया एवं मार्च 2013 की स्थिति में राशि ₹ 0.48 करोड़ शेष रहे जो कि वर्ष 2009-10 से बैंक बचत खाते में रखा गया। पी डी पी व्यय राशि ₹ 7.50 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 32.10 लाख का भुगतान प्रमाणक ही उपलब्ध थे एवं राशि ₹ 7.18 करोड़ की के पेड भुगतान प्रमाणक को उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2013) कि कम नामांकन एवं छात्रों की अनुपस्थिति के कारण छात्रवृत्ति की दूसरी किस्त हेतु धन की कम मांग की वजह से राशि व्यय नहीं हो सके। समायोजन में पूर्ण नहीं होने के कारण व्यय नहीं हुए राशि को शासकीय लेखे में वापस नहीं किया गया। बिना भुगतान प्रमाणक की व्यय राशि छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किए जाने हेतु संख्या प्रमुख के बैंक खाते में पड़ी है।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर का उत्तर से विदित है कि शासकीय से राशि का आहरण एस आर देयक से किया गया परंतु विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसी के पास बिना व्यय के शेष रखा है। भुगतान प्रमाणक की उपलब्धता ना होने के कारण व्यय की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

2.9 निष्कर्ष

वर्ष 2012-13 के दौरान, कुल ₹ 43,814.48 करोड़ के अनुदानों एवं विनियोगों के विरुद्ध ₹ 35154.55 करोड़ व्यय किया गया, परिणामतः ₹ 8,659.93 करोड़ की बचत हुई। ₹ 8660.89 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 0.96 करोड़ के अधिक के समायोजन के उपरांत परिणामतः कुल मिलाकर बचत हुई। 13 प्रकरणों में कुल राशि ₹ 181.01 करोड़ वास्तविक बचत से अधिक समर्पण किया गया। 20 अनुदानों और तीन विनियोगों में बचत राशि ₹ 2526.50 करोड़ का समर्पण नहीं किया गया जबकि 44 प्रकरणों में निधियाँ की राशि ₹ 4688.66 करोड़ का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में किया गया। ₹ 0.72 करोड़ के व्यय आधिक्य के वावजूद एक अनुदान में ₹ 1.51 करोड़ का समर्पण किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत किए गये अधिक व्यय का नियमितीकरण आवश्यक था। आकस्मिकता निधि से ₹ 15.36 करोड़ का आहरण उन व्ययों के लिए किया गया जो आपात प्रकृति के नहीं थे।

निधियों का आहरण वास्तविक आवश्यकता के स्थान पर बजट आबंटन प्राप्ति के आधार पर एस आर देयक से किया गया एवं उक्त आहरित राशि को क्रियान्वयन एजेंसियों से मांग पत्र प्राप्त किए बिना ही वितरित किया गया। एस आर देयकों से आहरण की जाँच से विदित हुआ कि इस प्रकार से आहरित राशि अंतिम रूप से संवितरित नहीं हुए थे यद्यपि अंतिम व्यय

दिखाया गया और विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के बैंक खातों में बिना व्यय के पड़ा रहा। निधियों का आहरण और क्रियान्वयन एजेंसियों को संवितरण उनके उपयोग या भुगतान सुनिश्चित किए बिना अंतिम व्यय दिखाया गया।

2.10 अनुशंसाएँ

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- बजट आबंटन से अधिक व्यय से बचना चाहिए।
- अधिक/अनावश्यक अनुपूरक अनुदान और निधियों के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन से बचना चाहिए।
- आवश्यक सीमा तक और केवल आपात प्रकृति के लिए आकस्मिकता निधि से व्यय की स्वीकृति दी जानी चाहिए।
- निधियों के आहरण और एस आर देयकों के उपयोग सम्बंधी छत्तीसगढ़ कोष संहिता और वित्त विभाग के निर्देशों का पालन और निरन्तर अनुश्रवण की जानी चाहिए।
- उपयोगिता प्रमाण-पत्र /व्यय प्रतिवेदन अनुदानग्राही द्वारा समय पर प्रस्तुत करना चाहिए।